



संख्या-10/2023/ 77-3002(003)/14/2022/002-531

प्रेषक,

निधि श्रीवास्तव,

विशेष सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पर्यटन भवन,

गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक मार्च, 2023

विषय:- उ० प्र० डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर जनपद लखनऊ नोड के अन्तर्गत ग्राम भटंगाव तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ में चार लेन सड़क का निर्माण कार्य आगणन लागत रु० 38.788 करोड की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 4259/यूपीडा/2217/21/डिफ० कॉरि०/तक० दिनांक 31.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उ० प्र० डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर जनपद लखनऊ नोड के अन्तर्गत ग्राम भटंगाव तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ में चार लेन सड़क का निर्माण कार्य आगणन लागत रु० 38.788 करोड की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य-08 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु० 400.00 करोड के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु० 1605716289/- में से डिफेन्स कॉरिडोर परियोजनान्तर्गत लखनऊ नोड के ग्राम भटंगाव तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ में चार लेन सड़क का निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित धनराशि

I/295766/2023

रु0 36,42,63000/- (रुपये छत्तीस करोड़ बयालीस लाख तिरसठ हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में पच्चीस प्रतिशत धनराशि रु0 910.66 लाख (रुपये नौ करोड़ दस लाख छछट हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (2) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022 एवं 08.11.2022 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।
- (6) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्थाम का होगा।
- (7) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यूपीडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।
- (8) उ०प्र० इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट्स एक्ट 1976 के संबंधित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) यूपीडा द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्सल सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया

I/295766/2023

जाए।

(10) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जीएसटी की धनराशि अनुमन्यन कर दी गयी है। यूपीडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जीएसटी सम्मिलित न हो।

(11) प्रायोजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/यूपीडा का होगा।

(12) प्रायोजना का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,10,66,000 (रुपये नौ करोड़ दस लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-278-X-2022-23-दिनांक:28-3-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(निधि श्रीवास्तव),

विशेष सचिव,

संख्या-10/2023/ 77-3002(003)/14/2022/002-531, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।

I/295766/2023

5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
7. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निधि श्रीवास्तव),
विशेष सचिव,

Signed by निधि श्रीवास्तव
Date: 29-03-2023 13:24:56
Reason: Approved